प्रेषक,

रविन्द्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2023**

विषयः- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के भाग-2 के नियम-9 में अंकित कृत्रिम अंगो की सूची में आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-2275/5-6-11-1082/87, दिनांक 20.09.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के माध्यम से प्राविधान किया गया है। उक्त नियमावली के भाग-2 के नियम-9(क) में कृत्रिम अंग और साधित्र अनुमन्य किये गये हैं। उपरोक्त नियम-9(क)(13) में सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य साधित्र को अनुमन्य किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त नियमावली, 2011 के नियम-9(क)(13) के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारियों द्वारा आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर/BIPAP/CPAP इत्यादि खरीदने के सम्बन्ध में किये गये व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में निम्न मांग निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(1) लाभार्थी द्वारा सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा भरा गया निर्धारित प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा। उपचार कर रहे चिकित्सक द्वारा प्रारूप भरने से पूर्व मार्गदर्शी सिद्धान्तों का भली-भांति अध्ययन कर लिया जाये एवं पूरी मूल जांच रिपोर्ट संलग्न की जाये।

क- आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर एवं बाईलेवेल वेन्टीलेटर्स सप्लायर्स सिस्टम के लिये रोगी के stable दशा में, कमरे की हवा में ली गयी धमनियों की ब्लड गैस रिपोर्ट।

ख- CPAP एवं Bi-level CPAP के लिये विस्तृत in-lab-level-1 polysomnography report (सभी प्रासंगिक तालिकाओं को सम्मिलित करते हुये)

(2) ये सभी उपकरण जीवनरक्षक यन्त्र हैं तथा 05 वर्ष की अधिकतम आयु रखते हैं। अतः इन्हें 05 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद सर्विस इंजीनियर के द्वारा पूर्व यन्त्र के मरम्मत न हो पाने के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

(3) लाभार्थी को विगत 05 वर्षों में समान प्रकार के यन्त्र की प्रतिपूर्ति न लिये जाने के सम्बन्ध में परिवचन (undertaking) देना होगा।

(4) सम्बन्धित यन्त्र की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थी द्वारा इसे जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के पास जमा करा दिया जायेगा। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी इसे महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें मुख्यालय पर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी या महानिदेशालय द्वारा इस यन्त्र को किसी अन्य रोगी को जारी नहीं किया जायेगा। ऐसे जमा किये गये संयंत्रों का पूरा लेखा-जोखा महानिदेशालय द्वारा रखा जायेगा।

(5) इन प्रकरणों में स्वीकृति हेतु/कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रकरणों का परीक्षण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा -

क	सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
ख	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित दो (2) श्वास/फुफ्फुस रोग विशेषज्ञ	सदस्य

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी:-

a.	oxygen Concentrator	Rs.	60,000/-
b.	CPAP	Rs.	50,000/-
c.	Bi-level CPAP	Rs.	80,000/-
d.	Bi-level ventilatory system	Rs.	1,20,000/-

उक्त सीमा में 05 वर्ष के लिये यन्त्र की मरम्मत और स्पेयर पार्टस की कीमत सम्मिलित रहेगी। मरम्मत और पुर्जों की कीमत के लिये पृथक से कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा।

(7) 05 वर्ष बाद यन्त्र प्रतिस्थापना हेतु वही प्रक्रिया लागू होगी जो प्रथम यन्त्र के अनुमोदन हेतु निर्धारित की गयी है।

(8) यन्त्र के कार्य की अनुमति/कार्योत्तर अनुमोदन हेतु सभी रूप में पूर्ण आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. उक्त के अतिरिक्त चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में उल्लिखित शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
रविन्द्र
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला), उत्तर प्रदेश।
(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।